जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय प०सिंहभूम, चाईबासा।

निविदा आमंत्रण सूचना

माननीय विधायक श्री शशि भूषण सामाड, चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र द्वारा विधायक योजना अन्तर्गत 08 (आठ) प्रा० विद्यालयों, 02 (दो) उच्च विद्यालयों में पुस्तकों की क्रय (पुस्तकों की सूची के साथ) की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आलोक में व्यावसायिक छूट के बाद कुल 18 लाख (अठारह लाख रूपये मात्र) की पुस्तकों का क्रय किया जाना है। पुस्तक क्रय करने हेतु प्रकाशकों/ वितरकों एवं अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंध निविदा आमंत्रित की जाती है।

विद्यालयों के लिए पुस्तकों की सूची कार्यालय अवधि में उप विकास आयुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय या जिला के वेबसाईट www.chaibasa.nic.in पर देखा जा सकता है तथा विद्यालयों के लिए पुस्तकों की सूची कार्यालय अवधि में उप विकास आयुक्त का कार्यालय प० सिंहभूम चाईबासा से अपनी निजी खर्च पर छायाप्रति प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए निर्धारित शर्त्त के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में **दिनांक 16.08.2016 को 12.30 बजे अपराह्न** तक उप विकास आयुक्त प० सिंहभूम चाईबासा के कार्यालय में दाखिल कर सकते है। क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में **दिनांक 16.08.2016 को ही अपराह्न 4.00** बजे खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि चाहे तो भाग ले सकते हैं।

तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगेः–
   1. तकनीकी निविदा में जमानत की राशि हेतु 25,000/– (पच्चीस हजार) रू० मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो उप विकास आयुक्त प०सिंहभूम चाईबासा के पदनाम से होगा, तथा स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया में भुगतेय होगा।
   2. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
   3. भारत सरकार द्वारा प्राप्त ISO प्रमाण पत्र , आयकर, बिक्रीकर आदि क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मुल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
2. किसी प्रकाशक की अधिकाधिक 10 (दस) संख्या Titles पुस्तक नमूने के रूप में स्वीकार की जायेगी। प्राप्त नमूने की पुस्तकें लौटाई नहीं जाएगी और न उसका मुल्य देय होगा।
3. एक पुस्तक, 1000/– (एक हजार) रूपये से अधिक की नहीं होगा।
4. प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई एस.बी.एन. संख्या के साथ ही स्वीकार होगा।
5. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाऐं वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदाकर्त्ता द्वारा निश्चित रूप से अंकित की जाएगी।

क्र०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम एवं पुरा पता	प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	सजिल्द/ अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित
1							
2							

7. नमूने की एक–एक प्रति कार्यालय अविध में विशेष वाहक तथा रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर प्राप्त की जाएगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए कार्यालय/ विभाग द्वारा किसी प्रकार का व्यय वहन नहीं किया जाएगा।
8. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदाकर्त्ता विभिन्न प्रकाशन संस्थाओं के लिए (अलग–अलग) मुद्रित दर पर उनके द्वारा दिये जा रहे छूट का प्रतिशत निम्नांकित प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करेगें:–

क्र०	पुस्तक का नाम	आई०एस०बी०एन० नम्बर	लेखक का नाम	मुद्रित दर	छूट की राशि (प्रतिशत में)
1					
2					

अन्य शर्तेः–

1. पुस्तकों का मूल कॉपीराईट का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके आधार पर मूल प्रकाशक को वरीयता दी जायेगी।
2. स्वीकृत निविदादाता को सुसंगत शर्त्त के अनुबंध/एकरारनामा दाखिल करना होगा।
3. किसी भी निविदा को बिना कारण बताएँ स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
4. सामग्री की आपूर्त्ति उपलब्ध कराये गये नमूने के आधार पर निधारित मापदंड/गुणवत्ता माँग एवं दर के अनुरूप करनी होगी, अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।
5. आपुर्ति किये जाने वाले पुस्तक की राशि का भुगतान पुस्तकों की आपूर्ति के पश्चात ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम देय नहीं होगा।
6. अनुमोदित आपूर्त्तिकर्त्ता को माँग आदेश प्राप्ति के दो माह के अंदर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, प०सिंहभूम चाईबासा/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, प०सिंहभूम, चाईबासा में अपूर्ति करना होगा।

21/7/2016

उप विकास आयुक्त,
प०सिंहभूम, चाईबासा।

E-mail

ज्ञापांक :– 830 / वि०, दिनांक :– 25-07-2016

प्रतिलिपि :– जिला क्रय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबांसा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि जिले के वेवसाई पर उक्त निनिदा को अपलोड करने की कृपा की जाय।

उप विकास आयुक्त

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।